संख्या ई-11015/7/2018-हिंदी

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और मंत्रालय

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 08 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जांच बिंदु (चैक प्वांइट) निर्धारित करना

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) के अधीन बने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावी जांच बिंदु (चैक प्वाइंट) निर्धारित करें। तदनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में उपर्युक्त अधिनियम/नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदुओं को निर्धारित करना एवं इन्हें समय-समय पर परिचालित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों एवं अनुभागों का ध्यान निम्नलिखित जांच बिंदुओं की ओर दिलाया जाता हैः

1. **सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करनाः**

(i) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सामान्य आदेशों तथा अन्य कागजात जैसे नियमों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, समझौते/करार विज्ञप्तियों आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी सुनिश्चित करें कि ये कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। यदि नहीं, तो उन्हें दोनों भाषाओं में तैयार करवाया जाए। इनको प्रेषित करने वाले अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के दस्तावेज़ साथ-साथ हिंदी में भी जारी हो रहे हैं।

2. **हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर हिंदी में देनाः**

हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किए गए किसी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर देने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुभाग/प्रभाग की तरफ से जारी किए जाने वाला पत्र हिंदी में ही भेजा जा रहा है।

3. **'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदिः**

इन पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे :-

i. 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में ही भेजें।
ii. 'क' क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
iii. यह सुनिश्चित करें कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले या प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के मसौदे हिंदी में प्रस्तुत करें।

4. **ई-ऑफिस/फाइलों और रजिस्टरों में हिंदी में कार्य/प्रविष्टि करना**

अनुभाग/प्रभाग में नई फाइल (ई-ऑफिस पर अथवा फिजिकल) खोलते समय प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि:-

i. नई फाइल में उसका विषय हिंदी/द्विभाषी रूप में लिखा जा रहा है।
ii. सभी फाइलों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी जा रही हैं। (वर्ष 2021-22 के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यह लक्ष्य 75% है।)
iii. अनुभागों में रखे जाने वाले रजिस्ट्रों में विषय द्विभाषी में लिखे जाएं एवं प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

5. **लिफाफों पर हिंदी में पते लिखनाः**

सी आर अनुभाग के प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएं। यदि लिफाफे अनुभागों द्वारा बनाए जाते हैं तो उन पर हिंदी में पते लिखने की जिम्मेदारी अनुभागों की होगी।

6. **रबड़ की मोहरे, नाम पटट्, साइन बोर्ड, बैनर आदि द्विभाषिक रूप में बनानाः**

संबंधित अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि सभी रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, साइन बोर्ड, सीलें, पत्र शीर्ष (लैटर हैड) बैनर अंग्रेजी और हिंदी यानी द्विभाषी रूप में हों। संबंधित अधिकारी/अनुभाग भी सुनिश्चित करें कि ये सब द्विभाषी रूप में हो।

7. **कंप्यूटरों की खरीद और हिंदी साफ्टवेयर उपलब्ध करानाः**

राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य अनुभाग यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी काम करने की सुविधा हो। सभी कंप्यूटरों पर

हिंदी के प्रयोग के लिए यूनीकोड एनकोडिंग को सक्रिय करने की जिम्मेदारी एन.आई.सी. प्रभाग की होगी।

8. **सेवा पंजियों (सर्विस बुक) में प्रविष्टयां:**

मंत्रालय के स्थापना अनुभाग के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मंत्रालय में कार्यरत सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही हैं।

8. **मंत्रालय की द्विभाषी वेबसाइट:**

मंत्रालय की वेबसाइट का प्रबंधन करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी हो और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अरविंद चौधरी)
आर्थिक सलाहकार

सेवा में

1. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
2. एन.आई.सी. सेल को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अपने-अपने कार्यालयों में आवश्यक जांच बिंदु निर्धारित करें।

(नारायण मल्या एल.)
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी